हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	
[illegible]	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे तहसीलदार बेगू से फर्द बटवारा रिपोर्ट पूर्व मे प्राप्त हुई जिस पर वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई, वकील वादी ने प्राप्त फर्द बटवारा अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण मे प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। डिक्री कि एक प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature]

श्री मान सहायक कलेक्टर

सेवा में,

...यालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश (RAS)

...ा सं0 : 44/22

...– नानूराम पिता जोधा सालवी निवासी केरपुरा तह0 बेगू

– बनाम – ..... वादी

1:– गोपाललाल पिता धन्ना सालवी निवासी पारसोली तह0 बेगू
2:– पुष्पा देवी पिता धन्ना सालवी निवासी पारसोली तह0 बेगू
3:– रतना पिता वरदा सालवी निवासी पारसोली तह0 बेगू
4:– रामू पिता वरदा सालवी निवासी पारसोली तह0 बेगू
5:– भगवान पिता मोहन सालवी निवासी केरपुरा तह0 बेगू
6:– हीरालाल पिता चतरभुज सालवी निवासी केरपुरा तह0 बेगू
7:– नाराण पिता कैलाशीबाई पुत्री चतरभुज सालवी उम्र नाबालिग सरपरस्त माता कैलाशीबाई पुत्री चतरभुज सालवी नि0 केरपुरा तह0 बेगूं
8:– सुगनी पिता चतरभुज सालवी निवासी केरपुरा तह0 बेगू
9:– माधवलाल पिता धन्ना सालवी निवासी केरपुरा तह0 बेगू
10:– शंकरलाल पिता धन्ना सालवी निवासी केरपुरा तह0 बेगू
11:– सुन्दरबाई पिता धन्ना सालवी निवासी केरपुरा तह0 बेगू
12:– भूमिधारी तहसीलदार सा0 बेगू
13:– श्रीमान जिला कलक्टर साहब जिला चित्तौड़गढ़

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :: राजसिंह चुण्डावत
अधिवक्ता वादी
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक : 27.5.25

निर्णय वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0

वादी की ओर से वाद अ0धा0 53, 188 राज0का0अधि0 का अधिवक्ता श्री राजसिंह चुण्डावत द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया है कि–

यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 के संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा केरपुरा प0ह0 केरपुरा तह0 बेगूं में स्थित है, जिसके खाता सं0 124 होकर आराजी नं0 123 रकबा 0.2400 है0 बीड़, आराजी सं0 124 रकबा 0.2300 है0 बीड़, आराजी सं0 125 रकबा 0.0800 है0 बीड़ कुल कीता 03 कुल रकबा 0.5500 है0 है। उक्त आराजीयात में वादी का 1/6 हक हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1/30 व प्रतिवादी सं0 2 का 1/30, प्रतिवादी सं0 3 व 4 का 1/3 व प्रतिवादी सं0 05 का 1/18 हक हिस्सा, प्रतिवादी सं0 6, 7, 8 का 1/27 और प्रतिवादी सं0 06 का 1/27 हक हिस्सा व प्रतिवादी सं0 09 का 1/30, प्रतिवादी सं0 10 का 1/5 व प्रतिवादी सं0 11 का 1/30 हक हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।

तथा मौजा केरपुरा पटवार हल्का केरपुरा तह. बेंगूँ में स्थित है, जिसके खाता सं. 60 होकर आराजी नं. 132 रकबा 0.2900 हैक, चाही 1 कुल किता 1 कुल रकबा 0.2900 हैक. है। उक्त आराज़ीयात में वादी का 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादी सं. 7 का 1/6 व प्रतिवादी सं. 5 का 1/6 प्रतिवादी सं. 6 का 1/6, दर्ज रेकार्ड हैं।

तथा मौजा देवलच्छ पटवार हल्का केरपुरा तह. बेंगू में स्थित है, जिसके खाता सं. 122 होकर आराजी नं. 256 रकबा 0.2700 हैक, बीड़ आ. नं. 257 रकबा 0.1300 हैक, चाही 1... आ.नं. 258 रकबा 0.3500 हैक् चाही 1, आ. नं. 269 रकबा 0. 300 हैक, बीड़., आ.नं. 270 रकबा 0.1400 हैक् चाही 1 कुल किता 5 कुल रकबा 0.9200 हैक. है। उक्त आराजीयात में वादी का 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादी सं. 7 का 1/9 व प्रतिवादी सं. 5 का 1/6 प्रतिवादी सं. 8 व 6 का 1/9–1/9 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड हैं।

यह कि खातेदार कैलाशीबाई के फौत हो जाने से उसके विधिक वारिस एक मात्र पुत्र नाराण प्रतिवादी सं. 7 को व खातेदार वरदा फौत हो जाने से उसके विधिक वारिस प्रतिवादी सं. 34 व खातेदारी भूरीबाई के फौत हो जाने से उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं. 6, 7, 8 के रूप में प्रतिवादी पक्षकार बनाए गए है।

यह कि वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत बटवाड़ा नहीं होने के कारण आए दिन सीमा संबंधि ार पाली व भुमि की किस्म को लेकर आपसी विवाद करते रहते है, और प्रतिवादीगण हर समय लडाई गड़ा करने पर आमादा रहतें है। अब प्रतिवादीगण को अपने हक हिस्से की आराजीयात को बेच कर खुर्द ुर्द कर देने पर आमादा है। जिसका की उनको कानूनी कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। फिर भी वादी द्वारा प्रतिवादीगण को तहसील में चल कर बटवाड़ा करने को कहा लेकिन उन्होने मना कर दिया इसलिए उक्त भुमि का हक हिस्से अनुसार बटवारा कर खाता पृथ्क पृथ्क किए जाने हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

यह कि वादी का उक्त विवादीत आराजीयात वादी का खाता सं. 124 में 1/6 हक हिस्सा, खाता संख्या 60 में 1/2 हक हिस्सा और खाता संख्या 122 में 1/2 हक हिस्सा होकर मौखीक बटवाड़ा अनुसार कब्जा काश्त होने व दर्ज रेकार्ड हक हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार बटवारा किया जाना न्यायहीत में न्यायोचित होगा ।

यह कि वाद कारण दिनांक 05.04.2022 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को तहसील में चलकर बटवाड़ा कराने को कहा लेकिन मना करने से पैदा हो हर रोज वर्तमान है।

अतः वादी न्यायालय श्रीमान से निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करता है

(अ) कि वाद वादी का स्वीकार फरमाया जाकर वाद वर्णित आराजीयात मौजा केरपुरा पं.ह. केरपुरा में स्थित वादी का खाता सं. 124 में 1/6 हक हिस्सा खाता संख्या 60 में 1/2 हक हिस्सा और मौजा देवलच्छ प.ह. केरपुरा की खाता संख्या 122 में 1/2 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड अनुसार वादी का कब्जा काश्त होने से मौके पर कब्जे व हक हिस्से अनुसार विभाजन किया जाकर वादी के नाम पर खातेदारी में पृथ्क दर्ज रेकार्ड से किया जावें शेष खाता बदस्तुर रखा जायें।

(ब) अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादीगण हो प्रदान कराया जावें ।

वाद अ0धा0 53, 188 राज0का0अधि0 का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 से 11 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिससे इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी सं0 12 व 13 फोर्मल पक्षकार होने से जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया जाने पर जवाब अवसर बंद किया जाने के पश्चात वादी नानूराम पिता जोधा सालवी के साक्ष्यवादी में बयान कलमबद्ध करा दस्तावेज प्रदर्श कराये गये। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

अवलोकन में पाया कि वादपत्र में अंकित मौजा केरपुरा प0ह0 केरपुरा में स्थित खाता सं0 124 में वर्णित आराजीयात में वादी का हिस्सा 1/6, खाता सं0 60 में 1/2 हक हिस्सा एवं मौजा देवलच्छ प0ह0 केरपुरा की खाता सं0 122 में 1/2 हक हिस्सा दर्ज है जिसका वादी विभाजन कराने का अधिकारी पाया जाता है। इसी हिस्सा अनुसार विभाजन किया जाना न्यायसंगत है।

अतः वाद वादी का अंतर्गत धारा 53, 188 राज0का0अधि0 का स्वीकार किया जाता है। वादपत्र में अंकित मौजा केरपुरा प0ह0 केरपुरा में स्थित वादी का खाता सं0 124 में 1/6 हक हिस्सा, खाता सं0 60 में 1/2 हक हिस्सा व मौजा देवलच्छ प0ह0 केरपुरा की खाता सं0 122 में 1/2 हक हिस्सा एवं शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार आराजी में विभाजन कराये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1500/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे निर्णयानुसार आराजी का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए मूल नक्शा ट्रेस दो प्रति में इस न्यायालय में आगामी तारीख 1.7.25 .. से पूर्व पेश करे। यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 27.5.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

कमांक/सरिस्ता/2025/ दिनांक':–

प्रतिलिपि तहसीलदार बेगू को प्राथमिक आदेश की प्रति वास्ते पालना भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट आगामी पेशी दिनांक ..... से पूर्व भिजवाये जाने की सुनिश्चितता करे।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

मूलवाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा सं0 : 44/22

1:– नानूराम पिता जोधा सालवी निवासी केरपुरा तह0 बेगू

..... वादी

– बनाम –

1:– गोपाललाल पिता धन्ना सालवी निवासी पारसोली तह0 बेगू
2:– पुष्पा देवी पिता धन्ना सालवी निवासी पारसोली तह0 बेगू
3:– रतना पिता वरदा सालवी निवासी पारसोली तह0 बेगू
4:– रामू पिता वरदा सालवी निवासी पारसोली तह0 बेगू
5:– भगवान पिता मोहन सालवी निवासी केरपुरा तह0 बेगू
6:– हीरालाल पिता चतरभुज सालवी निवासी केरपुरा तह0 बेगू
7:– नाराण पिता कैलाशीबाई पुत्री चतरभुज सालवी उम्र नाबालिग सरपरस्त माता कैलाशीबाई पुत्री चतरभुज सालवी नि0 केरपुरा तह0 बेगूं
8:– सुगनी पिता चतरभुज सालवी निवासी केरपुरा तह0 बेगू
9:– माधवलाल पिता धन्ना सालवी निवासी केरपुरा तह0 बेगू
10:– शंकरलाल पिता धन्ना सालवी निवासी केरपुरा तह0 बेगू
11:– सुन्दरबाई पिता धन्ना सालवी निवासी केरपुरा तह0 बेगू
12:– भूमिधारी तहसीलदार सा0 बेगू
13:– श्रीमान जिला कलक्टर साहब जिला चित्तौड़गढ़

.....प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजसिंह चुण्डावत की उपस्थिति में तथा प्रतिवादी की ओर कोई नही एक तरफा आदेश में वाद अ.धा. 53, 188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 27.5.25 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष प्राथमिक निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादी का अंतर्गत धारा 53, 188 राज0का0अधि0 का स्वीकार किया जाता है। व वादपत्र में अंकित मौजा केरपुरा प0ह0 केरपुरा में स्थित वादी का खाता सं0 124 में 1/6 हक हिस्सा, खाता सं0 60 में 1/2 हक हिस्सा एवं मौजा देवलच्छ प0ह0 केरपुरा की खाता सं0 122 में 1/2 हक हिस्सा एवं शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार आराजी में विभाजन कराये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1500/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे निर्णयानुसार आराजी का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए मूल नक्शा ट्रेस दो प्रति में इस न्यायालय में आगामी तारीख ..... से पूर्व पेश करे। यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक 27.5.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक/सरिस्ता/2025/386 दिनांक:–30.5.25

प्रतिलिपि तहसीलदार बेगू को प्राथमिक डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ भिजवाई जाती है।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़